लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल — 462023
दूरभाष क्रमांक : 0755—2583659, ई—मेल : dpividhya@gmail.com

क्रमांक विद्या/पी/लैपटॉप योजना/2018 1519 भोपाल, दिनांक 17.05.2018

प्रति,

1 समस्त कलेक्टर, म0प्र0
2 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म0प्र0
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0

विषय :—दिनांक 28 मई 2018 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरण कार्यक्रम।

—000—

दिनांक 28 मई 2018 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित वर्ष 2017—18 की कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा में शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के सामान्य वर्ग के विद्यार्थी 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग एवं विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्द्ध घुमक्कड़ वर्ग के वे विद्यार्थी जो 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें लैपटॉप क्रय हेतु राशि रूपये 25000/— तथा प्रमाण पत्र प्रदाय किए जायेंगे। इसमें व्यावसायिक परीक्षा से उत्तीर्ण विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं। इस हेतु विभिन्न जिलों में पात्र छात्रों की संख्या संलग्न है।

कृपया इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :—

1. सभी जिलों में विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को सूचना दी जाये कि विद्यार्थियों को दिनांक 27 मई 2017 को सांय काल तक पर भोपाल में उनके लिए निर्धारित आवास स्थल पहुंचना होगा। भोपाल के नजदीकी जिलों के विद्यार्थी प्रातः 11 बजे तक भी उनके लिए निर्धारित स्थल पर पहुंच सकते हैं। इस हेतु वे आवश्यक तैयारियां कर लें। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के विद्यार्थियों के दल के साथ स्वयं कार्यक्रम में अनिवार्यतः उपस्थित रहेगें । आवास स्थल की सूचना पृथक से जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल द्वारा दी जाएगी।
2. छात्रों को भोपाल आने जाने के लिये बस/रेल द्वारा आवागमन की व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में की जाये । बसें अच्छी अवस्था में हो तथा उनके ड्रायवर कुशल हो। दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले जिले बसों में दो ड्राइवर की व्यवस्था रखें तथा रात्रिकाल 09 बजे से सुबह 06 बजे तक यात्रा न करें। दूर से आने वाले जिले रात्रि विश्राम कहां करेंगे, यह जानकारी दिनांक 21 मई 2018 तक संचालनालय में **dpividhya@gmail.com** पर प्रेषित करेंगे।
3. प्रत्येक 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक/शिक्षिका का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उन्हें विद्यार्थियों को भोपाल लाने एंव वापस ले जाने तथा रास्ते में उनके रूकने एवं भोजन, नाश्ता, पेयजल, आकस्मिक चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाईयॉ आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा जाये । इस हेतु आवश्यक राशि अग्रिम के रूप में प्रदाय की जाये ।
4. कलेक्टर भोपाल लाल परेड ग्रउण्ड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के नोडल अधिकारी रहेंगे। उनके द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा एवं संभावित व्यय का आंकलन कर संचालनालय को अवगत कराया जाये जिससे कि आवश्यक राशि राशि की जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल जिला कलेक्टर भोपाल के मार्गदर्शन में अन्य विभागों के अधिकारियों से समन्वय करते हुए

2

समस्त आवश्यक कार्यवाहियां संपादित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल द्वारा विभिन्न जिलों से आने वाले विद्यार्थियों के पंजीयन, आवास, आहार एवं स्थानीय यातायात, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा, प्रसाधन सुविधा, चलित टॉयलेट आदि व्यवस्थाएं स्थानीय प्राचार्यों को दायित्व देकर सुनिश्चित की जायेंगी।

5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक उनके जिलों के विद्यार्थियों के कार्यक्रम में सुरक्षित पहुंचने तथा वापिस लौटने तक की व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करेंगे। दिनांक 28 मई 2018 के कार्यक्रम हेतु वे दिनांक 27 मई 2018 को प्रातः काल ही भोपाल पहुंचकर उनके जिलों के विद्यार्थियों के आवास स्थल पर समस्त सुविधाओं को संचालनालय के समन्वय से सुनिश्चित करेंगे।
6. पूरे कार्यक्रम हेतु आवश्यक राशि जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों का पालन करते हुए, वर्तमान में स्थानीय मद से व्यय की जाये । कार्यक्रम उपरांत द्वारा मदवार देयको की विस्तृत राशि दर्शाते हुए कुल व्यय राशि से संचालनालय को अवगत कराया जाये । संचालनालय द्वारा इस राशि की प्रतिपूर्ति मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना मद से की जायेगी ।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रमांक विद्या/पी/लैपटॉप योजना/2018 1520 भोपाल, दिनांक 17.05.2018

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी की ओर सूचनार्थ ।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला भोपाल, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.